रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 637] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 2012/अग्रहायण 26, 1934

No. 637] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 2012/AGRAHAYANA 26, 1934

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 898(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 87 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम 2012, में नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4. नियम 3 में किसी बात के होते हुए भी, यदि वैगन (वैगनों) में अधिक लदाई का पता चलता है जिसका परेषितियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा उनकी नामित एजेंसियों के माध्यम से भार-समायोजन करवाया गया था, तो प्रति वैगन एक लाख रु. का दंडात्मक प्रभार वसूल किया जाएगा।"

[फा. सं. टीसी-I/2006/109/6/भाग-II]

कुन्दन सिन्हा, सलाहकार (दर)

टिप्पणी :—मुख्य नियम भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 570(अ), तारीख 17 जुलाई, 2012 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2012

G.S.R. 898(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of Section 87 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Railways (Punitive Charges for Overloading of Wagon) Rules, 2012, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Rules, 2012, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely :—

"4. Notwithstanding anything contained in rule 3, if overloading is detected in the wagon(s) that had undergone load-adjustment by the consignors either directly or through their designated agencies, punitive charge of one lakh rupees per wagon shall be levied."

[F. No. TC-I/2006/109/6/Pt. II]

KUNDAN SINHA, Adviser (Rates)

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 570(E), dated the 17th July, 2012.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.